



Neutral Citation No. – 2026:AHC:175565

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29213 वर्ष 2026

जैतुनिया उर्फ जैतुनी

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

नीतू पाल, विजय लक्ष्मी सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री जनार्दन यादव के साथ श्री मणिकांत यादव द्वारा प्रथम सूचनादाता की ओर से दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री नीतू पाल, प्रथम सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव के ब्रीफ होल्डर श्री ब्रजेश यादव, अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या-116 सन् 2026, धारा 80(2), 85 भा.न्या.सं. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना तुर्कपट्टी, जनपद कुशीनगर में विचारण की अवधि में आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका मृतका की सास है, जिसने घरेलू मुद्दों पर एक मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदिका को केवल मृतका की सास होने के कारण झूठा फंसाया गया है, यद्यपि उसके विरुद्ध यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री नहीं है कि उसने मृत्यु से पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतका को उत्पीड़ित किया। आवेदिका को अन्य परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य तथा अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि विवाह के 7 वर्षों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने हेतु, यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृतका को मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, परंतु ऐसी कोई सामग्री नहीं है। अंत में यह भी कहा गया है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और महिला होने के नाते, वह भा.न्या.सं.एस की धारा 480 के दृष्टिगत जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। वह 04.07.2026 से जेल में है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे उपर्युक्त तथ्यों से इनकार नहीं कर सके।
6. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदिका महिला (सास) है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा अतिभारित जेलों तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही उच्चतम न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, 2025 SCC OnLine SC 3038** में प्रतिवेदित निर्णय के आदेश तथा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 SCC OnLine All 6765** में प्रतिवेदित इस न्यायालय के जमानत प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त अपराध में लिप्त आवेदिका-**जैतुनिया उर्फ जैतुनी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- आवेदिका मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।
 - आवेदिका बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/अन्वेषण में सहयोग करेगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- iii. आवेदिका जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में लिप्त नहीं होगी।
- iv. आवेदिका उसके द्वारा निष्पादित बॉन्ड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगी।
8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
9. आवेदिका तथा प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति तथा निवास प्रमाण को बॉन्ड स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।
10. आवेदिका तथा प्रतिभूतियों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति के आधार पर तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किए जाने पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
12. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदिका की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को भेजेगा।
13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति आवेदिका को देवरिया जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से तथा विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटों के भीतर, उच्चतम न्यायालय के पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रे: स्वतः प्रेरित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021, दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 SCC 685 तथा पिला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पहान उर्फ पीला पहान तथा अन्य बनाम झारखंड राज्य तथा अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169

सन् 2025, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत, के आदेशों के अनुपालन में भेजे।

14. यदि कोई प्रार्थना पत्र हो, तो उसका निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 अगस्त, 2026

ए.के.आर.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”